POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 10.11.2025

1. थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा एवं एनसीआर क्षेत्र में चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैच की गयी पीली धातु दो टूटी चैनो के 04 टुकड़े, एक पीली धातु का गोल सिक्का (कीमत करीब 03 लाख रूपये), 5000 रूपये नगद, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **10.11.2025** को **थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से चेकिंग के दौरान नोएडा एवं एनसीआर क्षेत्र में चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 02 अभियुक्त 1.सौरभ यादव उर्फ गोली पुत्र तापस यादव 2.रौनी उर्फ श्रेयस शुक्ला पुत्र तीर्थराज शुक्ला को अंतरिक्ष फारेस्ट कट सेक्टर-77, नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैच की गयी दो टूटी चैनो के 04 टुकडे (पीली धातु), एक पीली धातु का गोल सिक्का (कीमत करीब 03 लाख रूपये), 5000 रूपये नगद, एक अवैध तंमचा .315 बोर, एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गयी है।

अपराध का तरीका-- अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी है, जो एक साथ दो पहिया वाहन पर सवार होकर रात्रि/दिन में निकलते थे और सोसाइटियों, बाजारों आदि में राह चलते व्यक्तियों से उनके गले में पहनी चैन छीनकर फरार हो जाते थे। अभियुक्तगण पकड़े जाने के डर से अपने पास अवैध हथियार रखते थे। यह लोग स्नैच की गयी चैन को राह चलते व्यक्तियों को औने-पौने दामों में बेच देते थे तथा पैसो को आपस में बांट लेते थे तथा उस पैसो से अपने खिलाफ पूर्व में पंजीकृत अभियोग की पैरवी करते थे और खाने-पीने में खर्च करते थे। घटना के दौरान यह मोबाइल फोन का प्रयोग नही करते थे जिससे ये लोग पकड़े ना जा सके।

अभियुक्तों का विवरण--

1. सौरभ यादव उर्फ गोली पुत्र तापस यादव निवासी नोएडा इन्टरनेश्नल स्कूल के पास, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम खुटाहा थाना जगदीशपुर, जनपद कानपुर उम्र करीब 28 वर्ष, शिक्षा-12वी।
2. रौनी उर्फ श्रेयस शुक्ला पुत्र तीर्थराज शुक्ला निवासी दीपक विहार, खोड़ा कॉलोनी, थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद मूल निवासी देवगांव, थाना देवगांव, जिला आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष शिक्षा-12वी।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त एक बिना नबंर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल
2. पीली धातु की 02 छीनी हुई टूटी चैनों के 04 टुकड़े
3. एक पीली धातु का सिक्का
4. 5000 रूपये नगद
5. एक अवैध तमंचा .315 बोर (अभियुक्त सौरभ उर्फ गोली के कब्जे से)
6. एक अवैध चाकू (अभियुक्त रौनी उर्फ श्रेयस शुक्ला के कब्जे से)

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

⇓ **अभियुक्त सौरभ यादव--**

1.मु0अ0सं0-523/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0-784/22 धारा 392/411 भादवि थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3.मु0अ0सं0-44/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4.मु0अ0सं0-215/22 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-63, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0-224/22 धारा 411/414/482 भादवि थाना सेक्टर-63, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0-225/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-63, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0-385/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0सं0-224/22 धारा 411/414/482 भादवि थाना सेक्टर-63, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0सं0-524/18 धारा 392/492 भादवि थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0-224/22 धारा 411/414/482 भादवि थाना सेक्टर-63, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

11.मु0अ0सं0-295/18 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

12.मु0अ0सं0-298/18 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

13.मु0अ0सं0-204/18 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

14.मु0अ0सं0-206/18 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

15.मु0अ0सं0-160/18 धारा 392/411 भादवि थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

16.मु0अ0सं0-289/22 धारा 392/411 भादवि थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

17.मु0अ0सं0-1208/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

18.मु0अ0सं0-199/16 धारा 380 भादवि थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

19.मु0अ0सं0-919/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

20.मु0अ0सं0-1129/16 धारा 356 भादवि थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

21.मु0अ0सं0-686/16 धारा 392/411 भादवि थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

22.मु0अ0सं0-687/16 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

23.मु0अ0सं0-1032/18 धारा 307 भादवि थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

24.मु0अ0सं0-1037/18 धारा 25/27 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

25.मु0अ0सं0-408/19 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

26.मु0अ0सं0-412/19 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

27.मु0अ0सं0-417/19 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

28.मु0अ0सं0-416/19 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

29.मु0अ0सं0-819/24 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

30.मु0अ0सं0-1031/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

31.मु0अ0सं0-245/20 धारा 307 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

32.मु0अ0सं0-200/20 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

33.मु0अ0सं0-246/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

34.मु0अ0सं0-1731/16 धारा 392/411/414 भादवि थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

35.मु0अ0सं0 394/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

36.मु0अ0सं0 461/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

37.मु0अ0सं0 450/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

38.मु0अ0सं0 445/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

⇓ **अभियुक्त रौनी--**

1.मु0अ0सं0 30/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 331/25 धारा 303(2)/317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 354/25 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 394/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 461/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 450/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0 445/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2. थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में रैकी करके बन्द पड़े मकानों में चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण, कुल 1300 रूपये नगद व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **10.11.2025** को **थाना फेस-2 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से एनसीआर क्षेत्र में रैकी करके बन्द पड़े मकानों में चोरी करने वाले 02 शातिर चोर 1. निमाय सिंह पुत्र प्रशान्त सिंह 2.शिवम कुमार पुत्र अनिल राम मूल को धुन्नी बाबा मंदिर वाले रोड़ पर से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घरो में चोरी करने में इस्तेमाल 01 पाइप रिंच, 01 हथौड़ी, 01 प्लास, 01 पैंचकस, 01 रिंच, 01 अवैध चाकू व कुल 1300 रूपये नगद बरामद किये गये है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है, जो घुम-फिरकर एनसीआर क्षेत्र में रैकी कर रात में बन्द पड़े मकानों में लगे तालो को तोड़कर घर में रखा कीमती सामान को चोरी करते है व अपने पास अवैध हथियार रखते है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. निमाय सिंह पुत्र प्रशान्त सिंह निवासी गांव रतूआ थाना रतूआ जिला मालदा राज्य पश्चिम बंगाल वर्तमान पता जे0पी0 फ्लाई ओवर के पास, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष शिक्षा कक्षा-4वी।

2. शिवम कुमार पुत्र अनिल राम मूल निवासी मुंगेर, थाना मुंगेर, बिहार वर्तमान निवासी भंगेल, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष शिक्षा-05वी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 522/2025 धारा 305(2) बीएंनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 पाइप रिंच
2- 01 हथौड़ी
3- 01 प्लास
4- 01 पैंचकस
5- 01 रिंच
6- कुल 1300 रूपये नगद
7- 01 अवैध चाकू

3. थाना बिसरख पुलिस द्वारा GST चोरी/राजस्व हानि करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कूट रचित दस्तावेज व फर्जी सील मोहर बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं में जाली आधार कार्ड, जाली पैन कार्ड, कूटरचित पहचान पत्रों एवं कूटरचित किरायानामा के माध्यम से अनुचित तरीके से UDYAM पंजीकरण तथा GST पंजीकरण प्राप्त कर, अलग-अलग नामों से फर्जी फर्मों के नाम पर चालू खाते खोले गए। इन खातों का उपयोग अवैध रूप से GST Refund की राशि प्राप्त कर उसे तुरंत अन्य खातों में हस्तांतरित करने के लिए किया गया। बैंक ऑफ इंडिया की गाज़ियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर जिले की विभिन्न शाखाओं में इसी गिरोह द्वारा अलग-अलग फर्म बनाकर कुल 6 (छह) खाते क्रमशः 1.M/s Ridhi Sidhi Enterprises (A/c 711120110000626) हरसाव शाखा-गाजियाबाद, प्रोपराइटर- शिव कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी सत्यम एंक्लेव, गिरधरपुर, तहसील दादरी, गौतमबुद्धनगर 2. M/s Bhawani Impex (A/c 711020110000423) सेक्टर-50, नोएडा प्रोपराइटर- अंकित व्यक्ति आकाश कुमार पुत्र चरण सिंह, निवासी बरौला, सेक्टर-49, नोएडा 3. M/s Jhalak Enterprises (A/c 711120110000627) का खाता बैंक ऑफ इंडिया, हरसाव शाखा,

गाजियाबाद प्रोपराइटर- आदेश पुत्र रमेश निवासी संजय नगर, सेक्टर-23, गाजियाबाद व दीपांशु शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा निवासी शंकर विहार, शाहपुर, बमहेता, गाजियाबाद 4.M/s Gaurav Enterprises (A/c 711820110000426) दिनांक 22.07.2025 को महरौली शाखा, गाजियाबाद प्रोपराइटर- अमित कुमार पुत्र आज़ाद वीर निवासी सेक्टर-7, श्रमजीवी विहार, गाजियाबाद 5.M/s Damini India International (A/c 71120110000901) फर्म का खाता बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया शाखा, गाजियाबाद प्रोपराइटर-प्रदीप कुमार पुत्र शीशपाल निवासी राजनगर, सेक्टर-23, संजयनगर, गाजियाबाद व संदीप पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी रेलवे कॉलोनी, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद 6. M/s Radhika Enterprises (A/c 713720110000278) फर्म का खाता बैंक ऑफ इंडिया, पतवारी शाखा, गौतमबुद्धनगर प्रोपराइटर- अमन गौतम पुत्र गुलाब चंद निवासी भीम नगर बाइपास, विजय नगर, गाजियाबाद व राहुल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी अमराला फरीदनगर, मोदीनगर, गाजियाबाद के नाम पर खोले गए थे। इन सभी फर्मो के खाते सिर्फ 1.प्रवीन कुमार पुत्र मोमराज सिंह निवासी ग्राम सलोनी, थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड़ उम्र करीब 38 वर्ष 2.सतेन्द्र सिंह पुत्र बनी सिंह निवासी ग्राम बिघराऊ थाना स्याना जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 37 वर्ष ने अपनी-अपनी फ़ोटो लगाकर विभिन्न-विभिन्न केवाईसी (आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेन्ट) लगाकर खुलवाये गये थे। प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेज पूर्णतः कूटरचित एवं जाली हैं। इनका उपयोग बैंक खाता खोलने, जीएसटी पंजीकरण एवं उद्यम पंजीकरण जैसे वित्तीय प्रक्रियाओं में धोखाधड़ीपूर्ण मंशा (Fraudulent Intent) के साथ अनुचित वित्तीय लाभ (Wrongful Gain) प्राप्त करने हेतु अपराध पूर्वक किया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा खुलवाये गये इन्ही खातो में विभिन्न खातो से रूपये मंगवाकर सुनियोजित तरीके से जीएसटी की चोरी/राजस्व की हानि की गई है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 871/2025 धारा 316(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना स्तर पर टीमें गठित की गई। जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त 1-प्रवीन कुमार पुत्र मोमराज सिंह 2-सतेन्द्र सिंह पुत्र बनी सिंह द्वारा अपनी फ़ोटो लगाकर फर्जी KYC (आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेन्ट एग्रीमेंट) तैयार कर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते है तथा उन्ही फर्मों पर अपनी फ़ोटो लगाकर बैंको में कम्पनी के नाम पर खाते खुलवाये जाते है और इन्ही खातों में विभिन्न फर्मों से धन मंगाकर ITC (इनकम टैक्स क्रेडिट) रिटर्न के रूप में GST की चोरी/राजस्व की हानि की जा रही है। इनके द्वारा अपनी फ़ोटो लगाकर अलग-अलग नाम पते से क्रमशः 1. M/s Ridhi Sidhi Enterprises में 20.06.25 से 30.10.25 तक 52,37,310 रूपये 2.M/s Bhawani Impex में 30.06.25 से 28.10.25 तक 65,40,642 रूपये 3.M/s Jhalak Enterprises 19.07.25 से 27.10.25 तक 1,23,84,849 रूपये 4. M/s Gaurav Enterprises में 30.07.25 से 28.10.25 तक 1,00,73,442 रूपये ,5.M/s Damini India International में 30.07.25 से 27.10.25 तक 30,001 रूपये 6. M/s Radhika Enterprises में 28.10.25 से 6.11.25 तक 11,010 रूपये (कुल 03 करोड़ 42 लाख 77 हजार 2 सौ 54 रुपये) का लेन-देन किया गया तथा इन 06 फर्मों को खुलवाने में ओटीपी प्राप्त करने हेतु 09 अलग-अलग मोबाइल नंबरों का प्रयोग किया गया है। इन 09 मोबाइल नंबरों की सर्विलांस की मदद से विश्लेषण किया गया तो यह 09 मोबाइल नंबर 18,

IMEI मोबाइल पर प्रयोग किए गए हैं। इन IMEI नंबरों पर कुल 87 मोबाइल नंबर प्रयोग किए गये हैं। इन 87 मोबाइल नंबरों का प्रयोग कर 85 विभिन्न फर्मों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इन 86 फर्मों में कुल 51 करोड के लगभग (ITC) दावा कर राजस्व को हानि पहुँचायी गयी है। इन सभी फर्म से पिछले 05 वर्ष में लगभग 350 करोड़ रूपये के बिल जारी हुए है। अन्य पंजीकृत फर्म जिनसे अपराध कारित किया हुआ है उनकी जाँच प्रचलित है एवं खातों की फ्रीज कराया जा रहा है। रजिस्ट्रर फर्मे के पतो पर सत्यापन कराया गया वह रजिस्टर्ड पते पर मौजूद नही है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त फर्म कूटरचित अभिलेखो के आधार पर दर्ज पायी गई। जिससे सम्बन्धित पतों पर खुलवाये गये सभी बैंक खाते में वित्तीय लेन-लेन अनुचित लाभ लेने के लिये किया गया है। अभियुक्तो का यह संगठित गिरोह है, जिनके द्वारा पिछले पाँच वर्षो से फर्जी फर्म जीएसटी नम्बर सहित तैयार कराकर फर्जी बिल का उपयोग कर जीएसटी रिफन्ड (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त कर सरकार को हजारो करोड़ रूपये के राजस्व की नुकसान पहुँचाने का अपराध कारित किया जा रहा है। अपराधियों द्वारा अधिकांशतः बातचीत के लिए व्हाट्सएप एप कालिंग एवं ई-मेल का प्रयोग किया जाता है।

दिनांक **10.11.2025** को **थाना बिसरख** में गठित टीम के द्वारा ग्राम पतवाडी से 02 अभियुक्त 1. प्रवीन कुमार पुत्र मोमराज सिंह 2. सतेन्द्र सिंह पुत्र बनी सिंह को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 10 विभिन्न फर्मो की मोहर, आधार कार्ड, चैक बुक, अकाउंट ओपनिंग फार्म बरामद हुए है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. प्रवीन कुमार पुत्र मोमराज सिंह निवासी ग्राम सलोनी थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड़ उम्र करीब 38 वर्ष।
2. सतेन्द्र सिंह पुत्र बनी सिंह निवासी ग्राम बिघराऊ, थाना स्याना, जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 871/2025 धारा 316(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोबाइल फोन (घटना में प्रयुक्त)
2. 10 सील मोहर विभिन्न फर्मों की (फर्जी बनी हुई)